मुकदमा अंतर्गत धारा 136 LR

मुकदमा नम्बर 89/2021

तक 8 mL

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय दस्तख़त हाकिम	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुआ
2021	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से श्री रिंकल एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सरिश्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 31.3.21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) श्रीगंगानगर	

31.03.2021

पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया। बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात प्रार्थी का आधार कार्ड, पासपोर्ट की फोटो कॉपी, जमाबंदी का अवलोकन किया गया। तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अपनी रिपोर्ट में दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की है। तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर जमाबंदी 8 एनएल पटवार हलका महियांवाली, भू.अ. निरीक्षक नेतेवाला खाता संख्या 49/2 में प्रार्थीया रिंकल पत्नी रमनदीप के स्थान पर रिंकल पत्नी अमनदीप दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश की प्रति तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल अभिलेखागार रहे।

आदेश आज दिनांक 31.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर